NR-717

कम्पमेल/

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या–डीजी परिपत्र सं0–16/2020 दिनांकः लखनऊः मई 12, 2020

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद–प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः–शरीर सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में।

विगत कुछ समय में घटित हत्या, गैर इरादतन हत्या, बलवा व अन्य शरीर सम्बन्धी अपराधों के कारणों का विश्लेषण करने पर सम्पत्ति/भूमि विवाद तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिद्वन्दिताओं और तनाव से उत्पन्न विवाद/रंजिश के तथ्य प्रकाश में आये हैं। ऐसे विवादों को चिन्हित कर उनका थाना स्तर पर निराकरण किया गया होता तो कदाचित इन गंभीर घटनाओं को रोका/टाला जा सकता था। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने–अपने गृह जनपदों में आ रही है। उनके गृह आगमन के कारण बहुत सारे पूर्व के उनसे सम्बन्धित विवादों के भी सामने आने की सम्भावना है। भविष्य में होने वाले ग्राम पचायत के चुनाव एवं उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी इस प्रकार के बढ़ते विवादों का एक मुख्य कारण है।

2. उपरोक्त घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समय–समय पर मुख्यालय से निर्गत परिपत्रों के कम में पुनः अपेक्षा की जाती है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

3. (1) प्रत्येक थानाक्षेत्र में अनेक गॉव मुहल्ले हैं जहॉ निम्न प्रकार के विवाद विद्यमान हो सकते हैं:–

- सम्पत्ति
- पट्टीदारी
- पुरानी रंजिश (हत्या या अन्य अपराध के कारण)
- नाली/नाबदान/रास्ते/मेड़ का विवाद
- राजनैतिक विशेषकर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश
- जाति व साम्प्रदायिक तनाव
- पार्टीबन्दी/गुटबंदी
- कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी से उभरने वाले पूर्व के विवाद
- कोविड–19 महामारी के कारण क्वारेन्टाइन किये जाने की शिकायत
- राहत सामग्री के वितरण का विवाद
- कोटेदार से विवाद
- मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने को लेकर विवाद

3 (2) उपरोक्त बिन्दुओं पर विवादों के चिन्हीकरण के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जाय–

- पूर्व के पाँच साल के हत्या व गंभीर बलवे के प्रकरण
- एक साल में पंजीकृत शरीर सम्बन्धी अभियोग
- वरिष्ठ अधिकारियो तथा थाना स्तर पर प्राप्त विवाद संबंधी प्रार्थनापत्र
- स्थानीय अभिसूचना के आधार पर जानकारी में आये विवाद
- ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रधान आदि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी
- डिजिटल वालंटियर ग्रुप एवं एस–10 (सी–प्लान एप) के माध्यम
- बीट सूचना रजिस्टर
- ग्राम स्तर पर नियुक्त राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत व अन्य सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त सूचना
- यू0पी0–112/1090/1076/आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त सूचना/शिकायत
- समाधान दिवस रजिस्टर एवं सम्पूर्ण समाधान दिवस(तहसील दिवस) रजिस्टर

4. बीट आरक्षी नियमित रूप से अपने बीट में पड़ने वाले ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण कर विवाद/तनाव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। ग्राम/मोहल्लों के संभ्रान्त व्यक्तियों एवं ग्राम चौकीदार से नियमित रूप से सम्पर्क में रहें। विवादों/तनावों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक बीट सूचना अंकित करायें।

5. विवादों का निस्तारण समस्त पुलिस उपायुक्त/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी चिन्हित विवाद रजिस्टरों को अपने कार्यालय में मंगाकर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रकार के विवाद उपरोक्तानुसार चिन्हित कर लिये गये हैं। विवाद निस्तारण के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जहाँ विवाद चल रहें है वहाँ निम्नांकित कार्यवाही की जाये:–

(1) थाने पर पंजीकृत शरीर सम्बन्धी संज्ञेय अपराधों के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को अविलम्ब दी जाये। क्षेत्राधिकारी तत्काल थाना प्रभारी से वार्ता कर यह सुनिश्चित करें कि घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य के आधार पर आवश्यकतानुसार विधिक प्रकियाएं पूर्णकर गिरफ्तारी कर ली जाये। आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरण, जिसमें अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना हो, इनमें दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 151/107/116/116(3)/117 की कार्यवाही कराते हुए संबंधित पक्षों को भारी धनराशि से पावन्द कराया जाये। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में 122(बी) सीआरपीसी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(2) गांव/मोहल्ला में विवाद सम्बन्धित कोई असंज्ञेय अपराध पंजीकृत होता है तो समीक्षा कर मा0 न्यायालय से अनुमति लेकर विवेचना की जाय। घटना की पुनरावृत्ति संज्ञेय अपराध के रूप में होने की संभावना पर तत्काल पूर्व प्रस्तर में अंकित धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

(3) यदि किसी थाना क्षेत्र में शरीर सम्बन्धी गम्भीर घटना जैसे हत्या, गैर इरादतन हत्या एवं बलवा की घटना घटित होती है तो उस स्थिति में राजपत्रित अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करते समय यह भी जानकारी करें कि पूर्व से कोई विवाद चल रहा था तो आवश्यकतानुसार वैधानिक/निरोधात्मक कार्यवाही/समस्या का समाधान करने का क्या प्रयास किया गया था ? यदि किसी प्रकार की लापरवाही किसी स्तर पर की गई है तो जवाबदेही तय करने की अवश्यकता है। यदि लाईसेंसी शस्त्र हो तो उसे तत्काल जमा करा लिया जाये।

(4) प्रायः यह देखा जा रहा है कि गांव में वैध/अवैध शस्त्रों का प्रयोग बढ़ रहा है। अतः कारतूसों की बिकी पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए, पूर्व की भांति निर्गत शासनादेशों एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्रों के दृष्टिगत शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन कर प्रभावी कार्यवाही युद्धस्तर पर आरम्भ कर देनी चाहिए ताकि आग्यास्त्रों के प्रयोग पर रोक लग सके।

(5) अनेक ऐसे प्रकरण हैं, जहां पुलिस के द्वारा फसल बोने/काटने सम्बन्धित धारा-145 या धारा-133 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट सम्बन्धी कार्यवाही मजिस्ट्रेट को सौंपकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व है कि प्रकरणों की सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराते हुए तत्परता से अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें जिससे भविष्य में फसल बोने की तैयारी या किसी तरह की प्रतिकूल स्थिति से निपटने में प्रभावी कार्यवाही हो सके।

(6) मुकदमों में वांछित अभियुक्तों की निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय। पर्यवेक्षण अधिकारी का दायित्व होगा कि ऐसा न होने पर नियमानुसार सीआरपीसी की धारा-82/83 की कार्यवाही सम्पादित करायी जाय। वांछित अभियुक्त द्वारा पुनः घटना करने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

(7) मा0 न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किये गये प्रकरणों में जमानतदारों का सत्यापन सहीं प्रकार से किया जाय जिससे फर्जी जमानत के आधार पर जेल से बाहर आने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। पूर्व के अपराध में जमानत पर छूटे व्यक्तियों द्वारा पुनः अपराध करने के प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए उनके जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

(8) गांव में कतिपय विवाद साम्प्रदायिक प्रवृत्ति (लड़की भगाने सम्बन्धी विवाद/भूमि सम्बन्धी विवाद/व्यक्तिगत शत्रुता सम्बन्धी विवाद/शमशान-कब्रिस्तान सम्बन्धी विवाद आदि) हैं। आगामी प्रधानी चुनाव के दृष्टिगत अपराध बढ़ने की प्रवृत्ति सम्भावित हो सकती है, इसलिए समय रहते इन विषयों के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से जानकारी कर उनके समाधान कराने के लिए कार्यवाही कर लें। इसी प्रकार कतिपय गांवों में जातियों के आधार पर ध्रुवीकरण स्पष्ट है, इसलिए पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ प्रभावशाली लोगों से संवाद बढ़ाते हुए ऐसे विवादों का सम्यक निस्तारण करा लिया जाय।

(9) कोविड-19 के परिपेक्ष्य में गांव एवं कस्बों में निगरानी समितियां का गठन किया जाय, इस परिपेक्ष्य में यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके सदस्यों के साथ कोई मुजहमत या कोई घटना न हो और एक बेहतर टीम भावना का प्रदर्शन हो।

(10) ग्रामीण क्षेत्र में किसी अपराध के फलस्वरूप कतिपय स्थानों पर जातिगत/धार्मिक पंचायतों के आयोजन की सूचना प्राप्त होती हैं तो समय रहते संवाद स्थापित कर इसे रूकवाया जाय अन्यथा वृहत्तर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(11) जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समाधान दिवस एवं सम्पूर्ण समाधान दिवस का प्रभावी उपयोग किया जाय। राजस्व, चकबन्दी, सिंचाई एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण सम्बन्धित विभागों का सहयोग लेकर किया जाय। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर मौके पर इसका समाधान कराते हुए इसका सम्पूर्ण विवरण रोजनामचाआम में भी दर्ज किया जाय।

(12) कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष समस्याओं का समाधान जैसे प्रवासी श्रमिकों के अपने घर आगमन से उत्पन्न पारिवारिक कलह, उसके गाँव छोड़कर जाने से उससे संबंधित पूर्व का विवाद, उनके बेरोजगार होकर वापस आने पर रोजगार को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद,एवं क्वारंटाईन अवधि में उत्पन्न विवादों पर विशेष सतर्कता रखते हुए प्रभावी समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

(13) गांव में जहां अवैध शराब की बिक्री अथवा गोकशी की आशंका है, वहां विशेष सतर्कता बनाये रखते हुए अपेक्षित कार्यवाही समय रहते कर ली जाय ताकि इस तरह के अपराधों की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

(14) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कतिपय शिकायतें प्राप्त होती हैं, इसलिए ऐसे विवादों के दृष्टिगत पहले से ही अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समुचित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(15) कोविड–19 महामारी से उत्पन्न विवाद आगामी पंचायत चुनाव के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं अतः भावी प्रत्याशियों एवं पूर्व के जीते एवं हारे प्रत्याशियों पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। उनके परिवारिक विवादों में पार्टीबंदी के कारण ऐसे विवाद गंभीर रूप ले सकते है। इनपर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है।

(16) अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक भी समय–समय पर जनपदों में भ्रमण के समय एवं अपने कार्यालयों में एक रोस्टर के अनुसार क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षकों से वार्ता कर उनके क्षेत्र में पंजीकृत होने वाले अपराधों/एनसीआर/पुराने विवादों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें तथा अपने कार्यालय में यह व्यवस्था बनायें कि नियमित रूप से उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले प्रत्येक जनपद के उपरोक्त सभी प्रकार की घटनाओं तथा तद्सम्बन्धी कार्यवाहियों का लगातार अनुश्रवण किया जा सके।

6. मुझे आशा ही नही बल्कि पूरा विश्वास है कि विगत दिनों में हुयी हत्या और अन्य शरीर सम्बन्धी गंभीर अपराधों के कारणों का स्पष्ट चिन्हांकन कर उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगायेंगे। मै चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर समस्त वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

13/5/20

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Yc Qmail/zone
के Range/DISH- को तत्काल भेजे
Yc C/Room DGP HQ